मध्यप्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ F 6-1/2015/58 भोपाल, दिनांक 15/07/2015

प्रति,

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
4. आयुक्त मनरेगा
5. आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प
6. आयुक्त रेशम
7. आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विषय – म.प्र. उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति मिशन के लिये दिनांक 15 जुलाई 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में **दिनांक 15/07/2015 को 11.30 बजे** उद्यानिकी एवं रेशम उत्पादन की राज्य कार्ययोजना के संबंध में संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

प्रतिलिपि –

पृ.क्रमांक/ F 6-1/2015/58 भोपाल, दिनांक 15/07/2015

1. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय। कृपया मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।

प्रमुख सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

म.प्र. उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति मिशन के लिये
दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में म.प्र. उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति मिशन की अवधारणा के प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहेः

1	श्री आर के स्वाईं	कृषि उत्पादन आयुक्त
2	श्री प्रवीर कृष्ण	प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
3	श्री आशीष उपाध्याय	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
4	श्री एस के मिश्रा	प्रबंध संचालक, म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम
5	श्रीमति सुधा चौधरी	प्रबंध संचालक, म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
6	श्री अरूण पान्डेय	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
7	श्रीमति स्मिता भारद्वाज	आयुक्त मनरेगा
8	श्रीमति दीप्ति गोड मुखर्जी	आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प
9	श्री सत्यानंद	आयुक्त रेशम
10	श्री एम एस धाकड़	आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा म.प्र. उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति मिशन की अवधारणा के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :

1. प्रदेश में स्थापित कृषि उपज मण्डियों को उद्यानिकी तथा रेशम उत्पादों की दृष्टि से और अधिक आकर्षक एवं सुविधायुक्त बनाया जाए जिससे कृषक मंण्डियों में आकर नीलामी के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिये प्रोत्साहित हो। स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत हो।

1.1. मण्डियों को इस प्रकार के सूचना तंत्र से सुदृढ़ किया जाए जिससे कृषकों को प्रदेश एवं मण्डी के पास की मण्डियों में उपज के विक्रय मूल्य की जानकारी आन लाईन आधार पर प्राप्त हो सके।

2. राज्य के कृषकों को उद्यानिकी उत्पादों की भण्डारण क्षमता न होने के कारण अल्प मूल्यों पर विक्रय करना होता है। उद्यानिकी उत्पादों की भंडारण – कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस की समुचित व्यवस्था की जाए। कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिये मण्डियों में भूमि दिये जाने का प्रावधान है अतः पी पी पी के माध्यम से मण्डियों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए।

प्रदेश में 50 लाख मी.टन उद्यानिकी उत्पादों हेतु कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता हेतु अवगत कराया गया। निर्णय लिया गया कि स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा विगत 3 वर्षो में पी पी पी एवं अन्य नीतियों के अन्तर्गत लगभग 70 लाख मी टन भंडारण की सुविधा विकसित की गई है। स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की नीति का अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

प्याज/आलू के भंडारण के संबंध में प्रस्ताव इस परियोजना में सम्मलित किया जाए।

3. नेशनल मिशन आन फूड प्रोसेसिंग योजना को भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा डिलिंक किया गया है अतः स्टेट मिशन आन फूड प्रोसेसिंग की योजना तैयार कर प्रस्तुत की जावे। इस हेतु रु. 250 करोड़ की राशि मण्डी, मध्यप्रदेश एग्रो तथा शासन के माध्यम से चिन्हित की जावे।

मेगा, मिनी तथा माइक्रो फूड पार्क तथा इकाईयों के गठन तथा कोल्ड स्टोरेज आदि के निमार्ण कार्य इसके माध्यम से किया जावे।

3.1 अधोसंरचनाओं के विकास के लिये मण्डी बोर्ड, एम पी एग्रो एवं राज्य शासन से वाछित धनराशि के प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना हेतु मण्डी बोर्ड एवं एम पी एग्रो से जितनी राशि की आवश्यकता होगी वह संबंधित संस्था द्वारा नियमानुसार दी जाएगी।

4. प्रदेश में स्थापित 307 विभागीय नर्सरिया का उन्नयन मनरेगा योजना के अन्तर्गत स्व–सहायता समूहों को जोड़कर, विभागीय बजट एवं पी.पी.पी मोड पर कराने हेतु परियोजना को मूर्त रूप दिया जाए।

5. इन्दौर में पेरीशेबल कार्गो की स्थापना का कार्य म.प्र. वेयरहाउसिंग एन्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है, उद्यानिकी विभाग के अन्तर्गत फ्लोरीकल्चर आता है अतः उद्यानिकी विभाग पेरीशेबल कार्गो की पूर्णक्षमता के उपयोग हेतु कार्यवाही करे।

6. पी.पी.पी. मोड पर स्थापित किये जा रहे हार्टिकल्चर हब में वायबिलिटी गेप के फन्डिग की आवश्यकता हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा जाए।

7. आम, संतरा, आवंला, अमरूद, केला एवं पपीता के अतिरिक्त अनार को भी सम्मिलित किया जाए।

8. ई–ट्रेकिंग दिनांक 1 अगस्त 2015 से लागू किये जाने पर सहमति दी गई।

9. उद्यानिकी के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के लिये आवश्यक मानव संसाधन के विकास हेतु एक्सेन्चर द्वारा प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में एजेंसी का चयंन पारदर्शी प्रकिया से किया जाए, साथ ही एन.जी.ओ. का भी सहयोग लिया जाए। समस्त योजनाओं को परिणामूलक आकंलन से करा जावे।

10. प्रदेश मे 6 ड्राई पोर्ट स्थापित है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिये यदि अन्य स्थानों पर ड्राईपोर्ट की आवश्यकता है तो वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

11. फ्लोरीकल्चर के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत राशि रूपये 10 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे।

12. परियोजना प्रस्ताव तैयार करने हेतु सलाहकार की सेवाएं लिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि संस्थागत वित्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सलाहकार की सेवाएं प्राप्त की जाए।

13. समस्त प्रस्ताव आगामी 15 दिवस में वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत कर दिये जावे।

14. ग्लोबल ग्रामोद्योग एवं रेशम विभाग के संबंध में पृथक से प्रस्तुतीकरण हेतु अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा।

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग